महत्वपूर्ण/ई–मेल

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।
5. **निदेशक,**
आवास बन्धु,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 14 जुलाई, 2023**

विषयः– प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2023 तक "भूजल सप्ताह" के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

कृपया नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–532/76–3–2023–830/98 दिनांक 20.06.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यतः अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल सम्पदा के महत्व के प्रति जन–जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य "भूजल सप्ताह" का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2023 में भूजल सप्ताह के आयोजन के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हैः–

"शहरी क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अपने अधीनस्थ प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि के माध्यम से इस आयोजन की अवधि में व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जन–जागरूकता हेतु पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन करायेगें।"

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र दिनांक 20.06.2023 की अपेक्षानुसार दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य "भूजल सप्ताह" का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signed by अरूणेश कुमार द्विवेदी
Date: 14-07-2023 13:35:15
Reason: Approved

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

2445979/2023/ -3
I/335498/2023

File No.76-3099/56/2021-3- संख्या-1563/आठ-3-2023 37

77412/ACSH/23

सचिव

संख्या-532/76-3-2023-830/98

7666/USCB/23
JS

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3, **लखनऊः दिनांक- 20 जून, 2023**

विषयः प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2023 तक "भूजल सप्ताह" का आयोजन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जल समस्त जीवों एवम् वनस्पतियों के जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। जहाँ एक ओर प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत सिंचाई भूजल संसाधनों पर निर्भर है, वहीं अधिकांश पेयजल योजनाओं एवम् औद्योगिक क्षेत्रों में जल आवश्यकताओं की पूर्ति भी मुख्य रूप से भूजल से ही होती है। इसी कारणवश यह सीमित प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता एवम् गुणवत्ता की दृष्टि से प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में गम्भीर स्थिति में पहुँच गया है। भूजल संसाधन के नवीनतम आंकलन-2022 के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 54 विकासखण्ड अतिदोहित, 46 विकासखण्ड क्रिटिकल एवम् 169 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गये हैं। वर्ष 2000 में प्रदेश में अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों की संख्या मात्र 20 थी, जो पांच गुना बढ़कर वर्तमान आकलन में 100 पहुँच चुकी है। साथ ही भूजल उपलब्धता के दृष्टिगत सुरक्षित विकास खण्डों की संख्या वर्ष 2000 में 745 थी जो वर्ष 2022 के आंकलन के अनुसार घटकर 557 हो चुकी है।

2- प्रदेश सरकार भूजल की सुरक्षा, नियोजित विकास, संरक्षण, उसके विवेकपूर्ण उपयोग तथा विनियमित दोहन के लिए प्रतिवद्ध है। इस हेतु न केवल विभिन्न स्तरों पर जल संचयन एवम् प्रबन्धन की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं अपितु विभिन्न क्षेत्रों में अनियंत्रित एवम् अविवेकपूर्ण भूजल दोहन को विनियमन की परिधि में भी लाया गया है। विनियमन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट-2019 प्रख्यापित किया गया है, जो प्रदेश में 02 अक्टूबर-2019 की तिथि से लागू है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूजल प्रबन्धन परिषद के द्वारा जनपद में भूजल के प्रबन्धन तथा नियमन हेतु समुचित प्रयास किए जाने है। इन्ही समग्र प्रयासों के फलस्वरूप विगत 02 वर्षों में प्रदेश के 29 विकास खण्ड संकटग्रस्त स्थिति से बाहर भी आये हैं।

3- उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल सम्पदा के महत्व के प्रति जन-जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य "भूजल सप्ताह" का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या-732/62-1-2012-830/98, दिनांक 05 जून, 2012 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में भूजल जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए गए है तथा प्रत्येक वर्ष किये जाते रहे है। वर्ष 2023 में भूजल सप्ताह के आयोजन में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित:-

6851/P3/SH/2023
VS CB

(1) वर्तमान में भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय मण्डल स्तर पर ही स्थापित है, जबकि "भूजल सप्ताह" का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाना है। इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पर लघु सिंचाई विभाग

26.6
निजी सचिव,
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

27.6.2023

के सहायक अभियन्ता इस आयोजन के जनपदीय नोडल अधिकारी एवम् मण्डल स्तर पर भूगर्भ जल विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, मण्डलीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(2) बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं अन्य राजकीय शिक्षण संस्थाएं इस आयोजन हेतु अपने नियंत्रणाधीन स्कूल-कालेजों, विश्वविद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे और उक्त आयोजन का अनुश्रवण करेंगे।

(3) शहरी क्षेत्रों में आवास एवम् शहरी नियोजन विभाग अपने अधीनस्थ प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आदि के माध्यम से इस आयोजन की अवधि में व्यापक प्रचार-प्रसार एवम् जन-जागरूकता हेतु पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन करायेगें।

(4) जन-सामान्य की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय संस्थानों/ प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों एवम् स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों का भी यथा सम्भव सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाये। विशेष रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला विज्ञान क्लब, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, शिक्षामित्र, आंगनबाडी केन्द्र, जल उपभोक्ता समितियाँ, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, इण्डियन आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, युवामंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों को भी इस आयोजन से जोड़ने का प्रयास किया जाये तथा इस आयोजन को प्रभावी ढंग से सफल बनाये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाए।

4- 04 मार्च, 2023 को प्रारम्भ किये गये जल शक्ति अभियान का विचार बिन्दु **"Source Sustainability"** रखा गया है। इसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि भूजल प्रबन्धन के लिए जन सहभागिता का समावेश कराते हुए जन-मानस को जल स्रोतों के संरक्षण हेतु प्रशिक्षित एवम् प्रोत्साहित किया जाए।

5- इस कार्यक्रम के आयोजन में मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों की विशेष भूमिका है। जनपद स्तर पर पूरे सप्ताह मनाये जाने वाले इस आयोजन की कार्ययोजना इस प्रकार बनायी जाये कि भूजल संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुँचे और वह इसके प्रति संवेदनशील बन सके। समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर चूँकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तैनात नहीं हैं, अन्य सम्बन्धित विभागों यथा-कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई, विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका, आवास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उ0प्र0 जल निगम, लोक निर्माण, उद्यान, शिक्षा विभाग आदि के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए।

6- इस वर्ष भूजल सप्ताह के आयोजन का मुख्य विचार बिन्दु "यह संकल्प निभाना है - हर एक बूँद बचाना है" रखा गया है, जिस पर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2023 के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में उपरोक्तानुसार "भूजल सप्ताह" का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र,
मिश्र
Date: 19-06-2023 17:56:37
Reason: Approved
(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या-532(1)/76-3-2023,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफीसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. आयुक्त, समस्त नगर निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम(ग्रामीण), उ0प्र0 लखनऊ।
9. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
10. अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।